संख्या- 14/2016/1567/एक-6-2015-रा0-6

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 14 मार्च, 2016**

विषय: सीधी भर्ती द्वारा वर्ष 2013 में नियुक्त समीक्षा अधिकारी के स्थायीकरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1090-आर0/1-206 जी/98 दिनांक 28-12-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वर्ष 2013 में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त समीक्षा अधिकारियों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 में समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति "उ0प्र0 राजस्व परिषद लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1983 " के अन्तर्गत की गयी थी और इसी नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत वर्ष 2013 में नवनियुक्त समीक्षा अधिकारियों को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा गया था। अत: स्थायीकरण भी 1983 की उक्त सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही किया जाना उचित होगा। कृपया तद्नुसार सूचित होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।